



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 1063/अका./वि.प.स्थायी समिति/2025

रायपुर, दिनांक 05/06/2025

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 05.06.2025 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

|                                   |   |         |
|-----------------------------------|---|---------|
| 1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति | — | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा       | — | सदस्य   |
| 3. डॉ. निनाद बोधनकर               | — | सदस्य   |
| 4. डॉ. अशोक कुमार प्रधान          | — | सदस्य   |
| 5. डॉ. (श्रीमती) प्रभावती शुक्ला  | — | सदस्य   |
| 6. डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल   | — | सदस्य   |
| 7. डॉ. संजय कुमार                 | — | सदस्य   |
| 8. डॉ. जी.के. देशमुख              | — | सदस्य   |
| 9. डॉ. शांतनु पॉल                 | — | सदस्य   |
| 10. डॉ. रिया तिवारी               | — | सदस्य   |
| 11. प्रो. अम्बर व्यास, कुलसचिव    | — | सचिव    |

## कार्यवृत्त

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21.04.2025 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।  
निर्णय: सम्पुष्टि की गई।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21.04.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय: कार्यवृत्त के बिंदु क्रमांक 7, 12, 13, 14, 15 व 16 का पालन प्रतिवेदन पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ शेष बिन्दुओं की सूचना ग्रहण की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

| क्र.                                                                                                                                                                                                                                                           | महाविद्यालय का नाम                                             | कक्षा/विषय                                                  | छात्र संख्या | सत्र    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| i                                                                                                                                                                                                                                                              | श्री बीरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, जामगांव, जिला-गरियाबंद | B.A.-III Year- (F.C., Sociology, Political Sc., Psychology) | 60           | 2025-26 |
| निर्णय: शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि 12.09.2026 को अंकित करते हुए पत्र प्रेषित किये जाने तथा निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। |                                                                |                                                             |              |         |

| क्र.                                                                                                                                        | महाविद्यालय का नाम                                                                   | कक्षा/विषय                                                                 | छात्र संख्या | सत्र    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| ii                                                                                                                                          | बी.आई.टी. कॉलेज आफ कॉमर्स साइंस, मैनेजमेंट एण्ड आर्ट्स, अभनपुर, केंद्री, जिला-रायपुर | B.A.-III Year- (F.C., Sociology, Political Hindi Litt.)<br>B.Com.-III Year | 60           | 2025-26 |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। |                                                                                      |                                                                            |              |         |

| क्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | महाविद्यालय का नाम                                         | कक्षा / विषय      | छात्र संख्या | सत्र    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
| iii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सौ. कुसुम ताई दाबके विधि<br>महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर | LL.B.- Ist Year   | 320          | 2025—26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | LL.B.- IInd Year  | 320          | 2026—27 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | LL.B.- IIIrd Year | 320          | 2027—28 |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक करने तथा इस प्रतिबंध के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है कि नियमानुसार बार कौंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति पत्र/आदेश पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही कक्षाएँ संचालित की जाएगी एवं तत्संबंधी अनुमति विश्वविद्यालय से प्राप्त की जाए। |                                                            |                   |              |         |

| क्र.                                                                                                                                        | महाविद्यालय का नाम               | कक्षा / विषय                                                                                                 | छात्र संख्या | सत्र    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| iv                                                                                                                                          | सेंट विसेंट पैलोटी कॉलेज, रायपुर | M.A.- I/II Sem. Psychology                                                                                   | 20           | 2025-26 |
|                                                                                                                                             |                                  | M.A.- I/II Sem. Economics                                                                                    | 20           |         |
|                                                                                                                                             |                                  | M.Sc.- I/II Sem. Computer Sc.                                                                                | 20           |         |
|                                                                                                                                             |                                  | B.A.- I Year (F.C., Sociology, Philosophy, Psychology, History, Political Sc., , Hindi Litt., English Litt.) |              |         |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। |                                  |                                                                                                              |              |         |

| क्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | महाविद्यालय का नाम                                           | कक्षा / विषय                                                                    | छात्र संख्या | सत्र    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | परम आदर्श स्वामी विवेकानंद महावि.<br>कलेक्टर रोड, बलौदाबाजार | B.A.-II- FC- (Hindi & English), Sociology, Economics, Political Sc., Hindi Lit. | 60           | 2025-26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | B.Com.-II                                                                       | 60           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | B.Sc.Bio.- II Year- Botany, Zoology, Chemistry                                  | 60           |         |
| निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित अनुशंसा की गई –<br>(1) इण्डोमेंट फण्ड की शेष राशि जमा करने एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने हेतु महाविद्यालय को समय-सीमा का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए पत्र प्रेषित करने की अनुशंसा की गई।<br>(2) उपरोक्त शर्तों के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। |                                                              |                                                                                 |              |         |

#### स्थायी सम्बद्धता

04. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

| क्र.                                                  | महाविद्यालय का नाम                                       | कक्षा / विषय        | छात्र संख्या | सत्र    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
| i                                                     | शास. राजीव लोचन स्नातकोत्तर महा.<br>राजिम, जिला-गरियाबंद | M.A.- Political Sc. | 30           | 2025-26 |
|                                                       |                                                          | M.A.- Hindi         | 25           |         |
| निर्णय: स्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। |                                                          |                     |              |         |

05. ATKT उत्तीर्ण (सभी पाठ्यक्रमों के लिए) छात्रों के उपाधि में ATKT Seal (मोहर) का उपयोग नहीं किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छात्रों के उपाधि में ATKT Seal (मोहर) का उपयोग नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई।

06. श्री गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर के नाम संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: आयुक्त उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्र. 232/517/आउशि/सम./2024 दिनांक 28.03.2024 के द्वारा महाविद्यालय के नाम में निम्नानुसार संशोधन किए जाने की अनुशंसा की गई –

| वर्तमान नाम                                                                          | संशोधन पश्चात् परिवर्तित नाम                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| श्री गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर | संत गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर |

07. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में प्रारंभ होने वाले एम.ए. योग 30 सीट के लिए ट्यूशन फीस 15,000/- (रुपए पंद्रह हजार मात्र) प्रति सेमेस्टर के स्थान पर प्रतिवर्ष किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में 2025-26 से प्रारंभ होने वाले एम.ए. योग 30 सीट के लिए ट्यूशन फीस सहित समस्त अनिवार्य शुल्क को सम्मिलित करते हुए रुपए 15,000/- (रुपए पंद्रह हजार मात्र) प्रतिवर्ष किये जाने की अनुशंसा की गई।

08. शांतीबाई कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद में संचालित B.C.A. की कक्षा को असम्बद्ध करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: शांतीबाई कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद में संचालित B.C.A. की कक्षा को परिनियम 27 के कंडिका (9) के अंतर्गत असम्बद्ध किए जाने की अनुशंसा की गई।

09. परिनियम 27 में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 14.05.2025 के कार्यवृत्त की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

निर्णय: (1) विश्वविद्यालय परिनियम 27 में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 14.05.2025 के अनुक्रम में परिनियम 27 की कंडिका 4(3) एवं 8(3)(i) में किए गए संशोधन को निम्नानुसार अनुशंसा किया गया –

| वि.वि. परिनियम क्रमांक | वर्तमान प्रावधान                                                                                                                                                                                                                                   | प्रस्तावित संशोधन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | औचित्य                                                                                                                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 4(3)                | The application shall be made to the Registrar on or before the 31 <sup>st</sup> December, of the year preceding the academic year from which the extension is sought and shall be accompanied by a fee of Rs. 8000/- which shall not be refunded. | The application shall be made to the Registrar on or before the 31 <sup>st</sup> December, of the year preceding the academic year from which the extension is sought and shall be accompanied by a fee of Govt. Colleges* Rs. 800/- and Non-Government Colleges Rs. 8000/- and <b>Government GST rule/rate implemented time to time will applicable</b> , which shall not be refunded. | कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर, वृत्त-एक, रायपुर पत्र क्र. /स.अ. /राक/स-एक/प्रवर्तन -अन्य/2/2024-25/2 873 दिनांक 21.10.2024 द्वारा महाविद्यालयों पर अधिरोपित जी.एस.टी. |



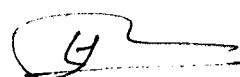
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 8(3) (i) | Every College or institution admitted to the privileges of the University shall pay to the University each year by the 31 <sup>st</sup> July an annual affiliation fee at the rates mentioned below:- | Every College or institution admitted to the privileges of the University shall pay to the University each year by the 31 <sup>st</sup> July an annual affiliation fee at the rates and <b>Government GST rule/rate implemented time to time will applicable</b> is mentioned below:- | शुल्क लागू किए जाने के कारण परिनियम में संशोधन आवश्यक है। |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

(2) समिति के अन्य अभिमत पर विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय महाविद्यालयों से लिए जाने वाले सम्बद्धता शुल्क में वृद्धि हेतु उच्च शिक्षा विभाग से वार्ता किये जाने की अनुशंसा की गई।

10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 210 के अनुक्रम में निर्मित विनियम 221 Four Year Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020) (Under Ordinance No. 210) में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन हेतु गठित समिति की अनुशंसा एवं Challenge Evaluation fee के संबंध में विचार करना।

निर्णय: (1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 210 के अनुक्रम में विनियम 221 Four Year Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020) (Under Ordinance No. 210) में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 29.05.2025 के अनुक्रम में निम्नानुसार अनुशंसा की गई –

| Regulation No. | Current provisions                                                                                               | Proposed Provisions                                                                                                                                        | Reason                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221 10.11      | Completion of Continuous Internal Assessment (CIA) is compulsory for appearing in End Semester Examination (ESE) | Delete                                                                                                                                                     | contrary to ordinance 210 Clause 8.5 hence to be deleted                                                                                                         |
| 12.10          | Not exist                                                                                                        | Students who appear for any examination for the first time shall be called "Regular" and students who appear to clear backlog paper shall be called "ATKT" | to define status of student                                                                                                                                      |
| 12.11          | Not exist                                                                                                        | There shall be one grace mark for student who need one mark to pass the examination                                                                        | Ordinance 210 Clause 8.7 there shall be provision of grace mark to enable the candidate to pass the examination as notified by the University through regulation |



|  |       |           |                                                                 |                                                                                                                                  |
|--|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12.12 | Not exist | There shall be provision for retotaling as per University rules | Ordinance 210 Clause 13.2 there shall be no provision for revaluation. However retotaling is permissible as per University rule. |
|--|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(2) प्रशासनिक स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा Challenge Evaluation fees निर्धारण करने की अनुशंसा की गई।

11. महाविद्यालय हेतु निर्मित निरीक्षण समिति प्रतिवेदन को संशोधन करने हेतु गठित समिति द्वारा किये गए संशोधन की अनुशंसा करना।

निर्णय: प्रस्तुत प्रारूप की समीक्षा करने हेतु समिति का पुनर्गठन करने की अनुशंसा की गई। समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे –

- (1) प्रो. निनाद बोधनकर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय – अध्यक्ष
- (2) प्रो. माया वर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय – सदस्य
- (3) प्रो. एस.जे. डहरवाल, संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् – सदस्य
- (4) डॉ. प्रीति मिश्रा, प्राचार्य, डॉ. राधाबाई शास. नवीन कन्या महा. रायपुर – सदस्य
- (5) प्रो. अम्बर व्यास, कुलसचिव – सदस्य सचिव

12. स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, रायपुर को नवीन संकाय अंतर्गत बी.कॉम.-40 सीट एवं डी.सी.ए.-40 सीट सत्र 2022-23 के स्थान पर संशोधित कर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

13. निम्नलिखित संकायांतर्गत अध्ययन मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्त की अनुशंसा करना –

| क्रमांक | अध्ययन मण्डल                             |   | बैठक की तिथि |
|---------|------------------------------------------|---|--------------|
| [1]     | विज्ञान संकाय –                          |   |              |
| 1       | भौतिकी                                   | — | 19.05.2025   |
| 2       | रसायन                                    | — | 15.05.2025   |
| 3       | इलेक्ट्रॉनिक्स                           | — | 19.05.2025   |
| 4       | गणित                                     | — | 23.05.2025   |
| 5       | सांख्यिकी                                | — | 16.05.2025   |
| 6       | भू-विज्ञान                               | — | 15.05.2025   |
| 7       | फॉरेंसिक साइंस (तदर्थ)                   |   | 19.05.2025   |
| 8       | संयुक्त बैठक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं भौतिकी) |   | 19.05.2025   |
| [2]     | जीव विज्ञान संकाय –                      |   |              |
| 9       | बायोटेक्नोलॉजी                           | — | 21.05.2025   |
| 10      | जैविकी                                   | — | 23.05.2025   |
| 11      | वनस्पतिशास्त्र                           | — | 23.05.2025   |
| 12      | प्राणीशास्त्र                            | — | 23.05.2025   |
| 13      | बायोकेमेस्ट्री                           | — | 23.05.2025   |
| 14      | माइक्रोबायोलॉजी                          | — | 23.05.2025   |
| 15      | मानवविज्ञान                              | — | 20.05.2025   |
| 16      | बी.वॉक. (तदर्थ)                          |   | 16.05.2025   |

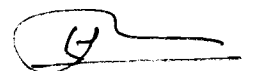
|             |                                      |   |            |
|-------------|--------------------------------------|---|------------|
| <b>[3]</b>  | <b>कला संकाय –</b>                   |   |            |
| 17          | दर्शनशास्त्र                         | — | 20.05.2025 |
| 18          | ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान           | — | 15.05.2025 |
| 19          | संस्कृत                              | — | 16.05.2025 |
| 20          | प्राच्य संस्कृत                      | — | 16.05.2025 |
| 21          | हिन्दी                               | — | 17.05.2025 |
| 22          | अंग्रेजी                             | — | 17.05.2025 |
| 23          | भाषाविज्ञान                          | — | 15.05.2025 |
| <b>[4]</b>  | <b>सामाजिक विज्ञान संकाय –</b>       |   |            |
| 24          | राजनीति विज्ञान                      | — | 19.05.2025 |
| 25          | इतिहास                               | — | 15.05.2025 |
| 26          | अर्थशास्त्र                          | — | 15.05.2025 |
| 27          | प्रा.भा.इतिहास                       | — | 15.05.2025 |
| 28          | समाजशास्त्र                          | — | 16.05.2025 |
| 29          | मनोविज्ञान                           | — | 16.05.2025 |
| 30          | भूगोल                                | — | 16.05.2025 |
| 31          | क्षेत्रीय अध्ययन (तदर्थ)             |   | 16.05.2025 |
| 32          | महिला अध्ययन केंद्र                  |   | 17.05.2025 |
| <b>[5]</b>  | <b>विधि संकाय –</b>                  |   |            |
| 33          | विधि                                 | — | 19.05.2025 |
| <b>[6]</b>  | <b>शारीरिक शिक्षा संकाय –</b>        |   |            |
| 34          | शारीरिक शिक्षा                       | — | 16.05.2025 |
| <b>[7]</b>  | <b>प्रबंध संकाय –</b>                |   |            |
| 35          | प्रबंध                               | — | 16.05.2025 |
| <b>[8]</b>  | <b>गृह-विज्ञान संकाय –</b>           |   |            |
| 36          | गृहविज्ञान                           | — | 20.05.2025 |
| <b>[9]</b>  | <b>शिक्षा संकाय –</b>                |   |            |
| 37          | शिक्षा                               | — | 16.05.2025 |
| <b>[10]</b> | <b>टेक्नालॉजी संकाय –</b>            |   |            |
| 38          | फार्मेसी                             | — | 16.05.2025 |
| <b>[11]</b> | <b>वाणिज्य संकाय –</b>               |   |            |
| 39          | वाणिज्य                              | — | 16.05.2025 |
| <b>[12]</b> | <b>इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी संकाय –</b> |   |            |
|             | संगणक विज्ञान                        |   | 05.05.2025 |

निर्णय: अनुशंसा की गई।

14. अध्यादेश क्रमांक 09 The Conditions of the Award of fellowships and Scholarship में संशोधन किये जाने पर विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश क्रमांक 09 The Conditions of the Award of fellowships and Scholarship में संशोधन किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठन किये जाने की अनुशंसा की गई –

- (1) प्रो. निनाद बोधनकर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
- (2) प्रो. माया वर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय
- (3) प्रो. संजय कुमार, संकायाध्यक्ष, इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी संकाय



15. जैविकी अध्ययनशाला में एम.एस-सी. बायोसाइंस पाठ्यक्रम में 04 पेमेंट सीट सत्र 2025-26 से प्रवेश दिये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: एम.एस-सी. बायोसाइंस पाठ्यक्रम में 04 पेमेंट सीट (प्रवेश शुल्क 15,000/- प्रतिवर्ष) सत्र 2025-26 से प्रवेश किए जाने की अनुशंसा की गई।

16. सत्र 2025-26 से नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सीट एवं शुल्क के संबंध में विचार करना।

| S.N. | NAME OF COURSE                                   | Name of the Department where the course is to be conducted | NO. OF SEAT | Fee                                                                           |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | M.A. in Tribal Studies & indian knowledge system | Centre for Indian Knowledge System                         | 20          | 880/- per semester tuition fee+ other University fee                          |
| 2    | M.A. in Women and Gender Studies                 | Centre for Women Studies                                   | 20          | 880/- per semester tuition fee+ other University fee                          |
| 3    | M.A in Yoga                                      | SoS in Physical Education                                  | 30          | Fee will be applicable as per decision taken in above minutes point no. 7.    |
| 4    | M.Sc. Data Science                               | Sos in Statistics                                          | 15          | 15000/- per semester tuition fee+ other University fee                        |
| 5    | Diploma in Sanskrit                              | Centre for Indian Knowledge System                         | 20          | 3190/- per semester tuition fee+ other University fee                         |
| 6    | One Year Diploma in Artificial Intelligence      | SoS in Computer Science                                    | 20          | 15000/- per semester tuition fee+ other University fee                        |
| 7    | B.Com-M.Com (5year Integrated Program)           | Institute of Management                                    | 30          | 4000/- per semester tuition fee+ 1500/- (One time fee) + other University fee |

निर्णय: अनुशंसा की गई।

17. रामकृष्ण ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संचालित रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सुंदर नगर, रायपुर में 2025-26 में बी.एड. नवीन छात्रों को प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: रामकृष्ण ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संचालित रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, खसरा नं. -545, सुंदर नगर रायपुर को एन.सी.टी.ई. के आदेश File No. NCTE/2025/WRC/PAR/ORDER/APW05504/723120, दिनांक 14.05.2025 द्वारा सत्र 2025-26 से बी.एड. में नवीन छात्रों को प्रवेश प्रदान नहीं किये जाने के संबंध में आदेश की सूचना ग्रहण की गई।

### अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

01. विश्वविद्यालय में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP)) प्रारंभ करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP)) प्रारंभ करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश पर विचार कर अभिमत प्रेषित किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठन की अनुशंसा की गई -

- (1) प्रो. निनाद बोधनकर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय - अध्यक्ष
- (2) प्रो. माया वर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय - सदस्य
- (3) प्रो. कविता ठाकुर, अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला - सदस्य
- (4) प्रो. जी.के. देशमुख, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय - सदस्य
- (5) श्री सनत कुमार वर्मा, उप-कुलसचिव - सदस्य सचिव

02. अंकसूची एवं टेबुलेशन रिकार्ड (T.R.) से संबंधित नियम बनाने पर विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश क्रमांक 8 ENROLMENT OF STUDENTS AND THEIR ADMISSION TO COURSES OF STUDY की व्यवस्था के क्रम में अंकसूची एवं टेबुलेशन रिकार्ड (T.R.) में संशोधन से संबंधित नियमों की व्याख्या हेतु निम्नानुसार समिति गठन की अनुशंसा की गई –

- (1) प्रो. प्रभावती शुक्ला, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय
- (2) प्रो. ए.के. प्रधान, संकायाध्यक्ष, जीव-विज्ञान संकाय
- (3) प्रो. संजय कुमार, संकायाध्यक्ष, इंफर्मेसन टेक्नालॉजी संकाय
- (4) श्री नरेन्द्र वर्मा, उप-कुलसचिव, परीक्षा विभाग
- (5) श्री के.एस. कश्यप, सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग

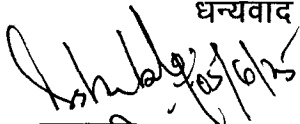
03. विश्वविद्यालय में स्थापित भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र हेतु सलाहकार समिति के गठन पर विचार करना।

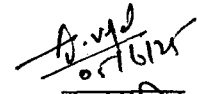
निर्णय: विश्वविद्यालय में स्थापित भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र हेतु सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्यों की अनुशंसा की गई—

- |                                                                                                                                |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| (1) प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल,<br>कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर                                                 | — | अध्यक्ष       |
| (2) प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी,<br>कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली                                             | — | सलाहकार सदस्य |
| (3) डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना,<br>वरिष्ठ चिकित्सक एवं संचालक, विशारद चिकित्सालय<br>रायपुर (छ.ग.)                                  | — | सलाहकार सदस्य |
| (4) प्रो. गंती सूर्यनारायण मूर्ति,<br>राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय ज्ञान परम्परा विभाग,<br>शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | — | सलाहकार सदस्य |
| (5) डॉ. ओमजी उपाध्याय,<br>सदस्य सचिव/निदेशक, भारतीय इतिहास अनुसंधान<br>परिषद् (ICHR) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार               | — | सलाहकार सदस्य |
| (6) डॉ. आर.के. ब्रह्मे,<br>निदेशक, भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र,<br>पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर                    | — | सदस्य सचिव    |

आवश्यकतानुसार विद्यापरिषद् की अनुशंसा पर उक्त समिति में तीन अन्य सदस्यों को भविष्य में सम्मिलित किए जाने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किये जाने की अनुशंसा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

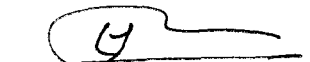
  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 1064/अका./वि.प.स्थायी समिति/2025  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 05/06/2025

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा/सामान्य प्रशासन/स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप-कुलसचिव (अका.)